



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 914]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2017/कार्तिक 17, 1939

No. 914]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2017/KARTIKA 17, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2017

सं. 84/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1376(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- क्रम सं. 20 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “दालों सिवाय मटर (पिसम सटेविम) और तूर के” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- क्रम सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“20 क	0713 10 00	मटर (पिसम सटेविम)	50%	-	-”;

- क्रम सं. 37, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “20 %” प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. 354/68/2006-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 77/2017-सीमा शुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 1298(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2017

No. 84/2017-Customs

G.S.R. 1376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

- (i) against serial number 20, for the entry in column (3), the entry “Pulses except Peas (*Pisum sativum*) and Tur” shall be substituted;
- (ii) after serial number 20 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“20A	0713 10 00	Peas (<i>Pisum sativum</i>)	50%	-	-”;

- (iii) against serial number 37, for the entry in column (4), the entry “20%” shall be substituted.

[F. No. 354/68/2006-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended vide notification No. 77/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published vide number G.S.R. 1298(E), dated the 13th October, 2017.